लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2718
05 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

जूट उद्योग में कुशल श्रमिकों की कमी

2718. श्री राजा राम सिंह:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार जूट उद्योग में कुशल श्रमिकों की कमी को दूर करने के लिए उचित नीतिगत उपाय लागू करने का है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या जूट की खेती के क्षेत्रफल में गिरावट आई है, यदि हाँ, तो सरकार इसमें आई गिरावट की चुनौती से निपटने के लिए किस प्रकार प्रयास कर रही है और इसका राज्य/जिला-वार विवरण क्या है;

(ग) क्या सरकार ने जूट की खेती, उत्पादन और गुणवत्ता में सुधार के लिए लागू आईसीएआरई योजनाओं का कोई मूल्यांकन किया है और यदि हाँ, तो मूल्यांकन रिपोर्टों का ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकारी स्वामित्व वाली और निजी जूट मिलों की संख्या कितनी है और उनमें से कितनी मिलों का आधुनिकीकरण और उन्नयन किया गया है;

(ङ) मिलों के आधुनिकीकरण के लिए स्वीकृत धनराशि के कुल उपयोग का ब्यौरा क्या है; और

(च) जूट विविधीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत पंजीकृत किसानों और स्थापित प्रशिक्षण केंद्रों की कुल संख्या कितनी है?

उत्तर
वस्त्र राज्य मंत्री
(श्री पबित्र मार्घेरिटा)

(क): भारत सरकार, राष्ट्रीय जूट बोर्ड (एनजेबी) के माध्यम से, जूट क्षेत्र में कुशल कारीगरों की संख्या बढ़ाने के लिए जूट संसाधन-सह-उत्पादन केंद्र (जेआरसीपीसी) पहल को क्रियान्वित कर रही है। इस पहल के अंतर्गत, एनजेबी, नामित एजेंसियों के सहयोग से, विभिन्न स्तरों (मूलभूत, उन्नत और डिज़ाइन विकास) पर प्रशिक्षण प्रदान करता है, जो जूट विविध उत्पादों (जेडीपी) की एक विस्तृत श्रृंखला के उत्पादन पर केंद्रित है।

(ख): भारत में कच्चे जूट की खेती को गुणवत्ता और उत्पादकता दोनों को बढ़ाने के उद्देश्य से लक्षित सरकारी हस्तक्षेपों के माध्यम से सक्रिय रूप से मजबूत किया जा रहा है। फसल विविधीकरण, परिवर्तनशील वर्षा, इनपुट-संबंधी बाधाओं और बाजार में उतार-चढ़ाव जैसे कारकों से उत्पन्न चुनौतियों को समझते हुए, भारत सरकार ने जूट-आईकेयर (उन्नत खेती और उन्नत रेटिंग एक्सरसाइज) कार्यक्रम शुरू किया है। यह पहल उच्च उपज देने वाली किस्म (एचवीवाई) प्रमाणित बीज उपलब्ध कराकर, रेटिंग एक्सेलरेटर लागू करके और आधुनिक कृषि तकनीकों को प्रोत्साहित करके टिकाऊ और वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देती है। अपनी शुरुआत से ही, इस कार्यक्रम में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जो वर्ष 2020-21 में 7 राज्यों के 130 ब्लॉकों (1,10,893 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए) से बढ़कर वर्ष 2024-25 तक 10 राज्यों के 289 ब्लॉकों (2,15,246 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए) तक पहुँच गया है, जो देश भर में जूट की खेती को बढ़ावा देने में इसकी व्यापक स्वीकृति और प्रभाव को दर्शाता है।

(ग): राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2018-19 के दौरान आयोजित जूट-आईसीएआरई पायलट परियोजना के मूल्यांकन से कई सकारात्मक परिणामों की पुष्टि हुई जो इस पहल की प्रभावशीलता को रेखांकित करते हैं। मूल्यांकन में उल्लेखनीय सुधार सामने आए, जिनमें जूट के फाइबर की बेहतर गुणवत्ता, खेती की कुल लागत में 8.65% की कमी और रेटिंग अवधि में 20 दिनों से घटकर केवल 13 दिन रह जाना शामिल है। इसके अलावा, इस परियोजना के कारण प्रमाणित जूट बीजों का उपयोग बढ़ा, उपज में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और यह 2,594.25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई, और किसानों की आय में कुल मिलाकर 15% की वृद्धि हुई, जिससे उत्पादकता और ग्रामीण आजीविका पर कार्यक्रम के प्रभाव को रेखांकित करता है।

(घ) और (ङ): देश में कुल 119 जूट मिलें हैं। इनमें से 6 मिलें भारत सरकार के स्वामित्व में हैं, जबकि त्रिपुरा और ओडिशा सरकारों के पास 1-1 मिल है। इसके अलावा, असम में एक सहकारी क्षेत्र की मिल संचालित होती है, और शेष 111 मिलें निजी स्वामित्व वाली हैं। जूट उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए, एनजेबी ने वर्ष 2014-15 से 2020-21 तक संयंत्र और मशीनरी के अधिग्रहण के लिए प्रोत्साहन योजना (आईएसएपीएम) लागू की। इस योजना का उद्देश्य पुरानी मशीनरी को आधुनिक, तकनीकी रूप से उन्नत उपकरणों से बदलना था। योजना अवधि के दौरान 199 जूट मिलों और एमएसएमई जेडीपी इकाइयों को कुल ₹71.76 करोड़ की प्रोत्साहन राशि वितरित की गई।

(च): चालू राष्ट्रीय जूट विकास कार्यक्रम (एनजेडीपी) के अंतर्गत, एनजेबी ने वर्ष 2021-22 से 2024-25 के दौरान जेआरसीपीसी का कार्यान्वयन जारी रखा। इस अवधि के दौरान, 12 राज्यों में 61 सहयोगी एजेंसियों के माध्यम से 100 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनसे 2,242 जूट कारीगरों और महिला स्वयं सहायता समूहों (डब्ल्यूएसएचजी) की सदस्यों को लाभ हुआ।

****